पूर्व मध्य रेल

सोनपुर मंडल

पेंशन अदालत दिनांक- 19.06.2026 हेतु सूचना

आवेदन प्राप्ति हेतु अंतिम तिथि- 19.05.2026

पेंशन परिवादों के निष्पादन के लिए पेंशन अदालत का आयोजन 19.06.2026 को 11:00 बजे मंडल रेल प्रबंधक / सोनपुर सभा कक्ष में किया जाना सुनिश्चित किया गया है। पेंशन अदालत में शामिल होने के लिए सेवानिवृत कर्मचारी/मृत कर्मचारी के आश्रित अपना पेंशन से संबंधित परिवाद का पूरा विवरण निम्न प्रारूप में मंडल रेल प्रबंधक (कार्मिक), पूर्व मध्य रेल/सोनपुर को दिनांक-19.05.2026 तक समर्पित करें।

1. आवेदक का नाम :-
2. भू०पू० कर्मचारी का नाम:-
3. पदनाम एवं अंतिम कार्यस्थलः-
4. भू०पू० कर्मचारी के साथ आवेदक/आवेदिका का संबंधः-
5. वर्तमान पताः-
6. सेवानिवृति की तिथिः-
7. सेवानिवृति के प्रकार (सामान्य, स्वैच्छिक / अनिवार्य):-
8. भू०पू० कर्मचारी की मृत्यु तिथिः-
9. प्राप्त किया गया अंतिम वेतन एवं वेतनमानः-
10. सेवानिवृति के समय नियंत्रण अधिकारीः-
11. पेंशन भुगतान आदेश सं० (P.P.O.की पूर्ण प्रति संलग्न करे)
12. बैंक का अद्यतन खाता की स्पष्ट छायाप्रति जिसमें आई.एफ.एस.सी कोड एवं खाता संख्या अंकित हो।
13. पत्नी का आधार कार्ड (आधार कार्ड की प्रति संलग्न करे)-
14. पेंशनर/आश्रित का मोबाईल नं०:-
15. शिकायतो का विस्तृत विवरण :-

आवेदक का हस्ताक्षर

पेंशन संबंधी परिवाद यदि हो तो, उसे एक लिफाफा में उपर दिये गये प्रारूप में जिसके उपर पेंशन अदालत दिनांक 19.06.2026 लिखा हो, उपरोक्त संबंधित पता पर दिनांक- 19.05.2026 तक अथवा इसके पूर्व पहुँच जाना चाहिए। कृपया, ध्यान दें कि वे शिकायतें जो पेंशन से जुड़ी नहीं है जैसे अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के लिए प्रार्थना, आश्रितो के नियोजन, कालबद्ध वेतन का भुगतान, भत्तों एवं वेतन बढोतरी आदि, पेंशन अदालत के अंतर्गत विचारनीय नहीं होगी।

सेवानिवृत के उपरांत 15 वर्ष या अधिक पूरा कर चुके पेंशनर, कृपया ध्यान दें:-

सेवानिवृति रेल कर्मचारी कम्यूटेशन (पेंशन संराशीकरण) की तिथि से 15 वर्ष पूरा होने पर पेंशन (वर्तमान पेंशन + संराशीकरण) के भुगतान हेतु पेंशन वितरक पदाधिकारी (अर्थात बैंक / डाकघर आदि) से सीधे सम्पर्क करें।

सहायक कार्मिक अधिकारी
पूर्व मध्य रेल, सोनपुर

Scanned with OKEN Scanner